

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई

अवरस्नातक और एम.एससी कार्यक्रमों के लिए
संस्थान छात्रवृत्ति हेतु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
(एफएक्यू)

नोट: इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में संस्थान की छात्रवृत्ति के बारे में सामान्य जानकारी है। कृपया विशिष्ट छात्रवृत्ति राउंड की अद्यतन जानकारी के लिए उस छात्रवृत्ति राउंड के कार्यालय ज्ञापन को देखें। यदि इन एफएक्यू में से कार्यालय ज्ञापन में लिखित किसी भी जानकारी में किसी भी परिवर्तन के मामले में, कार्यालय ज्ञापन की जानकारी को अंतिम माना जाएगा।

संस्करण 2

21 जून 2021 को जारी किया गया

ज्ञानम् परमम् ध्येयम्

विषय सूची

हिंदी संस्करण

खंड I:	छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी	3
खंड II:	पात्रता मानदंड	5
खंड III:	सहायक दस्तावेज	6
खंड IV:	तकनीकी / पोर्टल संबंधी मामले	10
खंड V:	विविध	11



खंड I: छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी

प्र. I.1) संस्थान के अवर स्नातक छात्रों के लिए किस विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ/ शुल्क छूट प्रदान की जाती हैं?

उ. अवरस्नातक छात्रों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति/ शुल्क छूट निम्नलिखित हैं:

क. इंस्टीट्यूट मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (एमसीएम)

ख. निःशुल्क मेसिंग की सुविधा (अनु.जाति/ अनु.जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए)

ग. शुल्क छूट

घ. महिला मेधावी छात्रवृत्ति (पात्र महिला छात्रों के लिए)

प्र. I.2) संस्थान के एम.एससी छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ/ शुल्क छूट क्या हैं?

उ. एम.एससी छात्रों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।:

I. इंस्टीट्यूट मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति

II. निःशुल्क मेसिंग की सुविधा (अनु.जाति/ अनु.जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए)

प्र. I.3) क्या मुझे शुल्क छूट और एमसीएम छात्रवृत्ति दोनों के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता है?

उ. छात्र को केवल एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहिए जो उनके लिए अधिक लाभदायक हो। [बशर्ते सभी पात्रता शर्तें पूरी हों]।

प्र. I.4) यदि मैं एमसीएम और शुल्क छूट में से मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति को चुनता हूँ, तो क्या 25% से अधिक कोटा हो जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा?

उ. नहीं। छात्रवृत्ति समिति द्वारा इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

प्र. I.5) मुझे संस्थान की छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन की समय सीमा और अन्य तिथियों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी?

उ. कृपया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के शैक्षिक कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध छात्रवृत्ति कैलेंडर का संदर्भ लें। छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित करने के लिए कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया जाएगा और प्रत्येक छात्रवृत्ति राउंड के लिए स्टुडेंट नोटिसेस पर भेजा जाएगा।

प्र. I.6) प्रति वर्ष छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित करने के लिए कितने राउंड होते हैं?

उ. आमतौर पर, छात्रवृत्ति के लिए वर्ष में दो बार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं इसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

i. शरद सत्र में: पूरे शैक्षिक वर्ष अर्थात शरद और वसंत सत्र के लिए।

ii. वसंत सत्र में: केवल वसंत सत्र के लिए।

प्र. I.7) यदि मुझे शरद सत्र राउंड के दौरान पूरे शैक्षिक वर्ष के लिए शुल्क छूट मिलती है, तो क्या मेरे सीपीआई में सुधार होने पर वसंत सत्र राउंड में एमसीएम के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उ. हाँ।

प्र. I.8) यदि मैं पहले से ही नामक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हूँ तो क्या मैं एमसीएम/ शुल्क छूट/ निःशुल्क मेसिंग प्राप्त कर सकता हूँ?

उ. नहीं।

प्र. I.9) यदि मैं पहले से ही संस्थान छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हूँ तो क्या मैं किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकता हूँ?

उ. नहीं। यदि छात्र को संस्थान छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो वह किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा सकता है।

प्र. I.10) क्या मैं पूरे कार्यक्रम के लिए एमसीएम/ शुल्क छूट/ निःशुल्क मेसिंग के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उ. नहीं। छात्र को प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में एमसीएम/ शुल्क छूट के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

प्र. I.11) यदि मैं एक वर्ष में छात्रवृत्तियाँ/ शुल्क छूट के लिए आवेदन नहीं करता हूँ, तो क्या नए आवेदन के रूप में अगले वर्ष (वर्षों) हेतु आवेदन करने के लिए कोई आपत्ति है?

उ. नहीं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है।

प्र. I.12) क्या होगा, यदि मुझे नामक छात्रवृत्ति प्राप्त होने के बाद भी एमसीएम/ शुल्क छूट/ निःशुल्क मेसिंग आवेदन भी स्वीकृत हो जाता है?

उ. जो छात्र पहले से ही नामक छात्रवृत्ति की प्राप्ति कर रहे हैं, उनके लिए एमसीएम / शुल्क छूट/ निःशुल्क मेसिंग अनुमोदित नहीं है।

प्र. I.13) छात्र, जिन्हें एमसीएम/ शुल्क छूट/ निःशुल्क मेसिंग प्राप्त होता है, उनके लिए ट्यूशन फीस/ छात्रावास कमरे के किराए की धन वापसी जो लागू है, क्या उसका सीधा भुगतान एससी पोर्टल में जुड़े छात्रों के बैंक खाते में किया जाएगा?

उ. आमतौर पर, छात्रों को ट्यूशन फीस/ छात्रावास कमरे के किराए की धन वापसी, कार्यालय आदेश में जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, शैक्षिक अनुभाग में मूल शुल्क रसीद प्रस्तुत करने के पश्चात की जाएगी।

प्र. I.14) क्या कोई छात्र एमसीएम/ शुल्क छूट के साथ विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत ब्याज हेतु आर्थिक सहायता लाभ उठा सकता है?

उ. विद्यार्थी विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्र या तो आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं अथवा एमसीएम/ शुल्क छूट का लाभ उठा सकता है।

प्र. I.15) यदि शरद ऋतु के राउंड में एमसीएम/ शुल्क छूट दी गई है तो क्या छात्रों को वसंत सत्र के लिए कम राशि का भुगतान करना होगा ?

उ. यदि छात्र को शरद ऋतु के राउंड में एमसीएम/ शुल्क छूट प्रदान किया जाता है तो छात्र, वसंत सत्र की शुल्क राशि का कम भुगतान कर सकते हैं।

प्र. I.16) मैं छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

उ. आप ऑनलाइन पोर्टल (एएससी) के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्र. I.17) मैं समय सीमा से चूक गया हूँ। तो क्या मैं एक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकता हूँ?

उ. नहीं, अधिसूचना में निर्दिष्ट छात्रवृत्ति समय सीमा के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

प्र. I.18) क्या मैं समय सीमा के भीतर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकता हूँ?

उ. नहीं। अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा में आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।

प्र. I.19) मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है?

उ. एक बार जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो जाने के बाद, विद्यार्थी को विद्यार्थी छात्रवृत्ति फॉर्म और विद्यार्थी द्वारा जमा किए गए आय प्रमाण के साथ एक ऑटो ई मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी इसकी पीडीएफ प्रति भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदकों को शैक्षिक कार्यालय में अपलोड किए गए आय प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति के साथ हस्ताक्षरित फॉर्म को डाउनलोड करके जमा करना आवश्यक है।

प्र. I.20) मुझे आवेदन या दस्तावेज जमा करने संबंधी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मुझे क्या करना चाहिए?

उ. कृपया निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' को देखें:

<https://www.iitb.ac.in/newacadhome/faqScholar.jsp> तथा शैक्षिक कार्यालय द्वारा जारी अद्यतन कार्यालय ज्ञापन देखें।

प्रश्न I.21) मुझे शरद ऋतु के राउंड के समय एमसीएम/शुल्क में छूट/मुफ्त मेस प्राप्त हो रहा है। क्या मुझे वसंत से समय विद्यार्थी वृत्ति/शुल्क की छूट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है।

उ. नहीं, शरद ऋतु के राउंड के समय छात्रों को एमसीएम/शुल्क में छूट/मुफ्त मेस सुविधा हेतु वसंत राउंड में इसके लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित जानकारी के लिए प्रश्न I.6 देखें।

प्र. II 1) एमसीएम छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

- उ. वे छात्र जिनके अभिभावकों (पिता और माता दोनों) की पिछले वर्ष की वित्तीय वर्ष की सकल आय 5,00,000/- प्रति वर्ष (बिना किसी मानक कटौती के) रुपये से अधिक नहीं है और सीपीआई 6.00 और अधिक (द्वितीय वर्ष से) है वे मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, शरद सत्र राउंड के छात्रवृत्ति के लिए, पूर्व शैक्षिक वर्ष के सीपीआई का विचार किया जाता है और वसंत सत्र राउंड के लिए, उसी शैक्षिक वर्ष के शरद सत्र के सीपीआई पर विचार किया जाता है।

प्र. II 2) शुल्क छूट के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

- उ. अवरस्नातक छात्र जिनके अभिभावकों (पिता और माता दोनों) की पिछले वर्ष की वित्तीय वर्ष की सकल आय 5,00,000/- प्रति वर्ष (बिना किसी मानक कटौती के) रुपये से अधिक नहीं है शुल्क छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शुल्क छूट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से ही ट्यूशन शुल्क में छूट प्राप्त है।

प्र. II.3) निःशुल्क मेसिंग के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

- उ. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों (पिता और माता दोनों) की पिछले वर्ष की वित्तीय वर्ष की सकल आय 5,00,000/- प्रति वर्ष (बिना किसी मानक कटौती) रुपये से अधिक नहीं है वे निःशुल्क मेसिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्र. II.4) क्या एफआर/ डीआर/ डीएक्स/ डबल्यू ग्रेड है जो एमसीएम / शुल्क छूट/ निःशुल्क मेसिंग छात्रवृत्ति के लिए एक मापदंड है?

- उ. नहीं।

प्र. II.5) कौनसा सीपीआई छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विचारार्थ है?

- उ. शरद सत्र छात्रवृत्ति राउंड के लिए, पिछले शैक्षिक वर्ष के सीपीआई पर विचार किया जाता है और वसंत सत्र राउंड के लिए उसी शैक्षिक वर्ष के शरद सत्र के सीपीआई पर विचार किया जाता है। उदाहरणार्थ- शरद सत्र 2020-21 के लिए, शैक्षिक वर्ष 2019-20 का सीपीआई विचारार्थ होता है जबकि वसंत सत्र 2020-21 के लिए, शरद सत्र 2020-21 का सीपीआई विचारार्थ होता है।

खंड III : सहायक दस्तावेज

प्र. III.1) छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक आय प्रमाण दस्तावेज क्या हैं?

- उ. छात्रवृत्ति आवेदन i) या ii) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें:
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छात्रवृत्ति हेतु लागू वित्तीय वर्ष का अभिभावक आय प्रमाण पत्र की एक स्वयं-सत्यापित स्कैन प्रति।

ii. छात्रवृत्ति हेतु लागू माता-पिता दोनों के वित्तीय वर्ष का आईटी रिटर्न के साथ आईटीआर पावती की एक स्वयं-सत्यापित स्कैन प्रति।

प्र. III.2) किस वर्ष का आय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा?

- उ. अधिसूचना के अनुसार शैक्षिक वर्ष में आय प्रमाण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का होना चाहिए।
उदाहरणार्थ: यदि अधिसूचना शैक्षिक वर्ष 2020-21 में जारी की जाती है, तो आय प्रमाण वित्तीय वर्ष 2019-20 का होना चाहिए।

प्र. III.2) अभिभावकीय आय प्रमाण पत्र क्या है?

- उ. आय प्रमाण पत्र राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय या सभी स्रोतों से किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय को प्रमाणित करता है। वास्तविक प्राधिकरण जो इस तरह का प्रमाणपत्र जारी करता है वह अलग राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में भिन्न होता है।

प्र. III.4) आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

- उ. कृपया छात्रवृत्ति आवेदन अधिसूचना का परिशिष्ट देखें।

प्र. III.5) आय प्रमाण पत्र जारी करने और वैधता की तारीख क्या होनी चाहिए?

- उ. आय प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख: एक निश्चित शैक्षिक वर्ष में दाखिल किए गए आवेदन के लिए, प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र उस वर्ष के 1 अप्रैल को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए, जिसमें वह शैक्षिक वर्ष शुरू होता है। उदाहरणार्थ, शैक्षिक वर्ष 2020- 21 में जारी अधिसूचना के लिए, आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद जारी किया होना चाहिए।

वैधता: यह शैक्षिक वर्ष के कम से कम 31 मार्च तक मान्य होना चाहिए जिसमें अधिसूचना जारी की गई है।
उदाहरण के लिए, शैक्षिक वर्ष 2020- 21 में जारी अधिसूचना के लिए, आय प्रमाण पत्र कम से कम 31 मार्च 2021 तक मान्य होना चाहिए।

प्र. III.6) मेरे पास वर्तमान में जो आय प्रमाण पत्र है वह, कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से पहले जारी किया गया है जिसमें मैं एक आवेदन दाखिल कर रहा हूँ और प्रमाण पत्र पूरे वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है। क्या मैं आवेदन के लिए इसका उपयोग कर सकता हूँ?

5. नहीं। एक निश्चित शैक्षिक वर्ष में किए आवेदन के लिए, प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र उस कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए, जिसमें उस शैक्षिक वर्ष की शुरुआत होती है। उदाहरणार्थ, शैक्षिक वर्ष 2020-21 में जारी अधिसूचना के लिए, आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद जारी किया होना चाहिए।

प्र. III.7) तहसीलदार ने 05/03/2018 को आय प्रमाण पत्र जारी किया। प्रमाण पत्र में लिखा है कि यह जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध है। क्या इसे शैक्षिक वर्ष 2020-21 के आवेदन के साथ जमा किया जा सकता है?

5. नहीं। शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए, आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद जारी होना चाहिए।

प्र. III.8) मैं शैक्षिक वर्ष 2020-21 के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहा हूँ और मेरा आय प्रमाण पत्र 14 जनवरी 2021 तक वैध है। क्या यह मान्य होगा?

उ. नहीं। आय प्रमाण पत्र 31 मार्च 2021 तक मान्य होना आवश्यक है।

प्र. III.9) मैं शैक्षिक वर्ष 2021-22 के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहा हूँ और मेरा आय प्रमाण पत्र जनवरी 2021 में जारी किया गया था। क्या मैं शैक्षिक वर्ष 2021-22 की छात्रवृत्ति के लिए इस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकता हूँ?

5. नहीं। शैक्षिक वर्ष 2021-22 की छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद जारी किया होना चाहिए।

प्र. III.10) मैं शैक्षिक वर्ष 2021-22 के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहा हूँ और मेरा आय प्रमाण पत्र अप्रैल 2021 में 6 महीने की वैधता के साथ जारी किया गया था, अर्थात् अक्टूबर 2021 तक है, तो क्या यह मान्य होगा?

5. नहीं। आय प्रमाण पत्र 31 मार्च 2022 तक मान्य होना आवश्यक है।

प्र. III.11) मेरा आय प्रमाण पत्र अप्रैल 2021 में जारी किया गया था जिसमें कोई वैधता नहीं है। क्या इसे शैक्षिक वर्ष 2021-22 के छात्रवृत्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा?

5. हाँ। यदि आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद जारी किया गया है, जिसमें कोई वैधता विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, तो यह केवल शैक्षिक वर्ष 2021-22 में मान्य होगा।

प्र. III.12) क्या प्रमाण पत्र संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है?

उ. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रमाण पत्र अंग्रेजी/ हिंदी में प्रस्तुत करें। हालांकि, यदि छात्र अंग्रेजी/ हिंदी में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो वह संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, हालांकि, यह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। "सक्षम प्राधिकारी" के लिए प्र. III.4 देखें।

प्र. III.13) वित्तीय वर्ष और निर्धारण वर्ष के बीच क्या अंतर है?

उ. निर्धारण वर्ष वह वर्ष है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय का मूल्यांकन किया जाता है, करों का भुगतान किया जाता है और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है। उदाहरण के लिए:

निर्धारण वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक) में, वित्तीय वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए कर रिटर्न दाखिल किया जाता है।

प्र. III.14) कौन से निर्धारण वर्ष की आयकर रिटर्न पावती और आईटी रिटर्न प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

उ निर्धारण वर्ष, शैक्षिक वर्ष के समान होना चाहिए जिसमें अधिसूचना जारी की गई है। उदाहरण के लिए: शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई अधिसूचना में निर्धारण वर्ष 2020-21 को प्रभावित करने वाले आईटीआर दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

प्र. III.15) क्या फॉर्म 16 आयकर रिटर्न पावती और मूल आईटी रिटर्न का विकल्प है?

उ नहीं। फॉर्म 16 आयकर रिटर्न पावती और मूल आईटीआर रिटर्न का विकल्प नहीं है।

प्र. III.16) क्या माता-पिता दोनों की आईटीआर आवश्यक है?

उ माता-पिता दोनों के आयकर रिटर्न की पावती और मूल आईटीआर रिटर्न जमा करना आवश्यक है।

प्र. III.17) यदि मेरे माता-पिता में से एक नौकरी नहीं कर रहे हैं/ उन्हें आईटीआर दाखिल करना आवश्यक नहीं है, तो क्या मैं फिर भी आय प्रमाण के रूप में आईटीआर दस्तावेजों को जमा करने का विकल्प चुन सकता हूँ?

उ ऐसे मामले में, आप निम्नलिखित प्रस्तुत कर सकते हैं:

- I. अभिभावक के नौकरी नहीं करने पर/ आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले आईटी दस्तावेजों को जमा न करने के बारे में घोषणा को स्वयं-सत्यापित करते हुए प्रस्तुत करें।
- II. दूसरे अभिभावक की आईटीआर पावती और आईटी रिटर्न की एक स्वयं-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।

प्र. III.18) मैंने अपने पिता के आवश्यक आईटीआर दस्तावेजों को अपलोड किया है। चूँकि मेरी माता नौकरी नहीं करती है, मेरे पास मेरी माँ की आय का आईटीआर नहीं है। उस स्थिति में, क्या केवल एक अभिभावक के आईटीआर दस्तावेजों को अपलोड करना स्वीकार्य है?

उ कृपया प्र. III.17 को देखें।

प्र. III.19) क्या मुझे आईटीआर पर कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है?

उ कृपया निम्न लिंक देखें:

<https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/main/ListOfITRsAndOtherForms>

प्र. III.20) आईटीआर पावती क्या है?

- उ एक नमूना आईटीआर पावती के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक देखें:
<https://www.incometaxindia.gov.in/forms/income-tax%20rules/2020/acknowledgement.pdf>

प्र. III.21) स्वयं-सत्यापन क्या है?

- उ. किसी दस्तावेज़ के स्वयं-सत्यापन से तात्पर्य स्वयं प्रमाणित करना और दस्तावेज़ की पुष्टि करना है। किसी दस्तावेज़ के स्वयं-सत्यापन या घोषणा का अर्थ है किसी दस्तावेज़ की छाया प्रति (फोटोकॉपी) या घोषणा पर उसके सावधानीपूर्वक अवलोकन के पश्चात हस्ताक्षर करना।

प्र. III.22) छात्रवृत्ति आवेदन के लिए किसके स्वयं-सत्यापन की आवश्यकता है?

- उ. स्वयं-सत्यापन उस छात्र द्वारा किया जाता है जो छात्रवृत्ति आवेदन जमा कर रहा है।

प्र. III.23) क्या सभी दस्तावेजों को स्वयं-सत्यापित होना चाहिए?

5. छात्रवृत्ति आवेदन के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेजों का स्वयं-सत्यापन अनिवार्य है। स्वयं-सत्यापन के बिना प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मान्य नहीं हैं।

प्र. III.24) यदि मेरे माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो छात्रवृत्ति/ शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए?

5. छात्र को एक शपथ-पत्र और माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र को स्वयं-सत्यापित करते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक है। [पूर्व-मुद्रित शपथ-पत्र का प्रारूप शैक्षिक अनुभाग से या ईमेल ugscholarships@iitb.ac.in पर विषय "Require affidavit" लिखकर, या व्यक्तिगत रूप से अनुभाग में जाकर प्राप्त किया जा सकता है]

प्र. III.25) यदि मेरे माता-पिता में से जीवित एक नहीं हैं, तो छात्रवृत्ति/ शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए?

5. छात्र को एक अभिभावक की आय प्रमाण की स्वयं-सत्यापित प्रति और दूसरे अभिभावक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक स्वयं-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्र. III.26) अगर मेरे माता-पिता तलाकशुदा हैं, तो छात्रवृत्ति/ शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए ?

- उ. छात्रवृत्ति समिति द्वारा इन मामलों को प्रत्येक मामलों के आधार पर निपटाए जाते हैं। कृपया शैक्षिक कार्यालय (ugscholarships@iitb.ac.in) से संपर्क करें।

प्र. III.27) यदि आय प्रमाण पर माता-पिता का नाम एएससी के नाम से अलग है तब क्या करें?

3. आय प्रमाण पर दर्ज माता-पिता का नाम एससी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के समान होना चाहिए। विसंगति के मामले में, इसमें सुधार करने के लिए शैक्षिक कार्यालय से अग्रिम रूप में संपर्क किया जाना चाहिए।



खंड IV: तकनीकी / पोर्टल संबंधित मामले

प्र. IV.1) क्या मुझे छात्रवृत्ति के लिए एएससी पर बैंक खाता विवरण अद्यतन करने की आवश्यकता है?

उ. हाँ। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एएससी पर बैंक खाते का विवरण अद्यतन रखें।

प्र. IV.2) मेरा आवेदन जमा करने के बाद का क्या होगा?

5. शैक्षिक अनुभाग आपके आवेदन पर कार्य करेगा और छात्रवृत्ति समिति के निर्णय के बारे में छात्रों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

प्र. IV.3) क्या मैं अपने आवेदन को जमा करने के बाद संशोधित/ अद्यतन कर सकता हूँ या दस्तावेज अपलोड कर सकता हूँ?

5. नहीं। छात्रों को एक बार जमा किए गए छात्रवृत्ति फॉर्म को संशोधित करने और अद्यतन करने की अनुमति नहीं है।

प्र. IV.4) मेरे छात्रवृत्ति आवेदन जमा करने में छात्रवृत्ति पोर्टल तक पहुंचने में किसी भी कठिनाई के मामले में किससे संपर्क करें?

उ. छात्र तकनीकी मामलों के लिए एएससी से asc.help@iitb.ac.in पर संपर्क करें।

प्र. IV.5) मैंने कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट किए गए जानकारी के अनुसार संबंधित दस्तावेजों के साथ सफलतापूर्वक एएससी पर आवेदन जमा कर दिया है, फिर भी मेरा नाम कार्यालय आदेश में नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए?

उ. विद्यार्थी जो आवेदन के मानदंडों को पूर्ण करते हैं, छात्रवृत्ति (यां) के लिए पात्र पाए जाते हैं और छात्रवृत्ति समिति द्वारा अनुमोदित होते हैं, उनका उल्लेख कार्यालय आदेश में छात्रवृत्ति जारी करने के लिए किया जाता है। छात्रवृत्ति समिति के निर्णयानुसार विद्यार्थी के आवेदन में अतिरिक्त सहायक सूचना/दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तदनुसार शैक्षिक कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। (यह संप्रेषण ugscholarships@iitb.ac.in ई-मेल के माध्यम से विद्यार्थी के भा.प्रौ.सं. के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर होगा।) सूचना प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वे ई-मेल को देखें और आवश्यक के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्य करें।

प्र. IV.6) मैंने एएससी पर सफलतापूर्वक आवेदन जमा किया है लेकिन मेरे आवेदन की पीडीएफ प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मुझे क्या करना चाहिए?

उ. ऐसे तकनीकी समस्याओं के लिए विद्यार्थियों को asc.help@iitb.ac.in तथा प्रतिलिपि ugscholarships@iitb.ac.in पर ईमेल करते हुए ए.एस.सी. से संपर्क करना चाहिए।

खंड V: विविध

Q V.1) मेरा नाम कार्यालय आदेश में नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए?

उ. कृपया प्रश्न IV.5 देखें।

Q V.2) मैं कार्यालय ज्ञापन में सूचीबद्ध किसी भी छात्रवृत्ति के लिए पात्रता का पात्र नहीं हूँ। मैं किन अन्य वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उ. एक छात्र, छात्रवृत्ति के अतिरिक्त वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

वित्तीय सहायता योजना	योजना संबंधी जानकारी के लिए संपर्क बिंदु
विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ब्याज आर्थिक सहायता	शैक्षिक अनुभाग, ugscholarships@iitb.ac.in
विद्यार्थी हितकारी निधि	संकायाध्यक्ष (छात्र कार्य), dean.sa.office@iitb.ac.in
वित्तीय सहायता कार्यक्रम	https://www.iitbombay.org/page/financial-aid-program
नामक छात्रवृत्ति	संकायाध्यक्ष (एसीआर), dean.acr.office@iitb.ac.in

प्र V.3) वर्तमान समस्याओं के कारण, परिवार की आर्थिक स्थिति अकस्मात बिगड़ गयी है। क्या मैं अब वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु छात्रवृत्ति के लिए पात्र बन पाऊँगा?

उ. शैक्षिक वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क छूट, माता-पिता की पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर आधारित है। पात्रता विवरण के लिए कृपया प्र. III.1, प्र. III.2 देखें